13/8/19

आज पहचानावली प्रार्थी/वादी एवं वकील वादी की
द० प्रस्तावना नोटेड। डिक्री कार्यालय किये जाने के कारण
की पेशी होने पर की कार्यवाही होने पर पेश हुई। वादी या
वकील वादी उपस्थित आये। हुआ। वादी की
पहचानावली के अनुसार कार्यवाही इंस्टलमेंट ड्रॉप कर वादी
द्वारा डिक्री कार्यालय किये जाने पर डिक्री कार्यालय
की जाती है। मेहरबानी स्वयं हस्ताक्षर किये जिनकी
पहचान वकील वादी श्री दूसरी डिक्री वादकर्ता की
फेसल हुआ है। अन्य कोई कार्यवाही वकील
द्वारा लिखित लेख कराये। द० आ० डि० है।
हुआ आज्ञा

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

LT

9d.